निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 श्रावण 1946 (श0)

(सं0 पटना 693) पटना, बुधवार, 24 जुलाई 2024

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

24 जुलाई 2024

सं० वि०स०वि०–16/2024–**2779**/वि०स० ।— ''बिहार लिफ्ट एवं एस्केलेटर विधेयक, 2024'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक 24 जुलाई, 2024 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,
ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव।

बिहार लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक, 2024

[वि०स०वि०-18/2024]

बिहार राज्य में लिफ्टों और एस्केलेटरों के सभी वर्गों और उनसे संबंधित सभी मशीनरी और उपकरणों के निर्माण, अधिष्ठापन, रखरखाव तथा निरापद कार्य प्रणाली को विनियमित करने के लिए एक विधेयक।

भारत गणराज्य के पचहतरवें वर्ष मे बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।–

(1) यह अधिनियम बिहार लिफ्ट एवं एस्केलेटर अधिनियम, 2024 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में निर्गत अधिसूचना में यथा नियत तारीख में प्रवृत होगा।

2. परिभाषाएँः– जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो तो, तब तक इस अधिनियम मेंः–

(क) **"सरकार"** से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;

(ख) **"निरीक्षक"** से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम, 2003 (केन्द्रीय अधिनियम, 2003 का 36) की धारा–162 की उपधारा–(1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त वह मुख्य विद्युत निरीक्षक, जिसमें विद्युत निरीक्षक भी शामिल है, जिसकी अधिकारिता में यह लिफ्ट या एस्केलेटर अधिष्ठापन स्थल आता है;

(ग) **"मालिक"** से अभिप्रेत है सोसाईटी या संगम या किरायेदार जो, संपूर्ण परिसर या उसके किसी भाग के मालिक या अधिभोगी या अभिधारी जिसने निबंधन के लिए आवेदन किया है;

(घ) **"सवारी"** से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति जो अपने परिवहन के प्रयोजनार्थ लिफ्ट या एस्केलेटर का उपयोग करता है;

स्पष्टीकरणः– इस खण्ड के प्रयोजनार्थ लिफ्ट परिचालक भी सवारी माना जायेगा।

(ङ) **"ऊर्जा"** से किसी भी प्रकार की ऐसी ऊर्जा से अभिप्रेत है जो मानव या पशु ऊर्जा से उत्पन्न न हुई हो;

(च) **"परिसर"** से अभिप्रेत है, कोई संरचना चाहे वह स्थायी हो अथवा अस्थायी और जहाँ लिफ्ट या एस्केलेटर अधिष्ठापित किया गया है;

(छ) **"निबंधन"** से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा–4 के अधीन निरीक्षक द्वारा लिफ्ट या एस्केलेटर की संख्या नियत करना;

(ज) **"लिफ्ट"** से अभिप्रेत है, ऊर्जा से परिचालित ऊपर या नीचे ले जाने या ले आने के लिए पिंजरानुमा यंत्र प्रणाली, वास्तव में जिसका उपयोग सवारी या माल या दोनों को ढोने के लिए किया जाता है;

(झ) **"लिफ्ट पिंजरा"** से अभिप्रेत है लिफ्ट का कार या पिंजरा जिसका उपयोग सवारी या माल या दोनों के परिवहन के लिए किया जाता है;

(ञ) **"लिफ्ट अधिष्ठापन"** में शामिल है लिफ्ट पिंजरा, लिफ्ट मार्ग, लिफ्ट मार्ग का घेरा एवं लिफ्ट परिचालन की यांत्रिक प्रणाली तथा रज्जु, केबल, तार, सुरक्षा उपबंध तथा लिफ्ट परिचालन से संबंधित यंत्र एवं मशीनरी;

(ट) **"लिफ्ट मार्ग"** से अभिप्रेत है, धूरा या हविश जिसमें लिफ्ट पिंजरा आता जाता है;

(ठ) **"लिफ्ट मार्ग घेरा"** में शामिल है लिफ्ट मार्ग के चारो ओर या बंद करने के लिए वास्तविक संरचना;

(ड) **"विहित"** से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित;

(ढ़) **"स्वचालित बचाव यंत्र"** से अभिप्रेत है, ऐसी प्रणाली जिसमें यदि भवन में बिजली चली जाती है तो लिफ्ट अपने निकटतम सतह पर रूक कर खुल जायेगा;

(ण) **"आपातकालीन बचाव यंत्र"** से अभिप्रेत है, इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत यंत्र, जो गगनचुंबी भवनों में बिजली की खराबी/ठप्प हो जाने की दशा में तथा लिफ्ट को उतरने, रोकने तथा किसी भी मंजिल पर लिफ्ट केज डोर के खुलने में पर्याप्त बैक–अप देता है तथा विस्तारित समय जो कम से कम पन्द्रह मिनट होगा, ताकि नियमित संचालन में रहता है, लिफ्ट की बिजली की 3–फेज आपूर्त्ति प्रदान करता है;

(त) **"एस्केलेटर"** से अभिप्रेत है सवारियों को ऊपर या नीचे ले जाने या ले आने के लिए बिजली पर निरंतर चलने वाली सीढ़ी;

(थ) **"लिफ्ट पिट"** से अभिप्रेत है कि लिफ्ट में सबसे कम लिफ्ट लैंडिंग के स्तर से काफी नीचे की जगह;

(द) **"बैलस्ट्रेड्"** से अभिप्रेत है एस्केलेटर का एक हिस्सा, जो स्थिरता प्रदान करके उपयोगकर्ता की सुरक्षा सुनिष्चित करता है, चलने वाले हिस्सों से बचाता है और रेलिंग का समर्थन करता है;

(ध) **"रेटेड लोड" या "कॉन्ट्रेक्ट लोड"** का मतलब उस लोड से है जिस पर लिफ्ट को स्वीकृत डायग्राम में निर्दिष्ट अनुसार चलने के लिए डिजाइन किया गया है;

(न) लिफ्ट के मामले में **"रेटेड गति"** से अभिप्रेत है, लिफ्ट कार की ऊपर और नीचे की दिशा में यात्रा के किसी भी हिस्से में अधिकतम गति जिसके लिए लिफ्ट उपकरण डिजाइन किया गया है और एस्केलेटर में मामले में दिशा में गति का मतलब है चरणों, पट्टियों या बेल्ट की आवाजाही जिसके लिए एस्केलेटर को अनुमोदित आरेख में निर्दिष्ट किया गया है;

(प) **"धारा"** से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा;

(फ) **"नियम"** से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियम;

3. पदाधिकारियों और पदधारियों की नियुक्तिः–

(1) सरकार द्वारा सौंपे गये कृत्यों के निष्पादनार्थ या इस अधिनियम के अधीन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक मुख्य विद्युत निरीक्षक और यथा आवश्यक निरीक्षकों, अन्य पदाधिकारियों एवं पदधारियों की नियुक्ति करेगी, जो यथा विहित अर्हता रखते हो;

(2) मुख्य विद्युत निरीक्षक राज्य के निरीक्षकों और अन्य पदाधिकारियों एवं पदधारियों पर आम अधीक्षण एवं नियंत्रण रखेगा और इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए आवश्यक निदेश निर्गत करेगा;

4. निबंधनः–

(1) लिफ्ट या एस्केलेटर के अधिष्ठापन के पश्चात उसका मालिक एक माह के भीतर ऐसी लिफ्ट या एस्केलेटर के निबंधन हेतु यथा विहित शुल्क के साथ विहित फारम में आवेदन करेगा। शुल्क अप्रतिदेय होगा;

(2) उपधारा (1) के तहत सभी तरह से पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर निरीक्षक 30 दिनों के भीतर लिफ्ट या एस्केलेटर की, जैसा आवश्यक हो निरीक्षण करेगा और संख्या नीयत करते हुए इन्हें निबंधित करेगा;

(3) लिफ्ट या एस्केलेटर का प्रत्येक मालिक लिफ्ट या एस्केलेटर के निर्बाध एवं निरापद संचालन हेतु किसी लिफ्ट या एस्केलेटर रख–रखाव कम्पनी द्वारा की गई संविदा या व्यवस्था को प्रमाण स्वरूप देते हुए लिफ्ट या एस्केलेटर के वार्षिक रख–रखाव की संविदा या की गई कोई अन्य व्यवस्था की प्रति प्रत्येक वर्ष निरीक्षक को देगा।

(4) लिफ्ट या एस्केलेटर का प्रत्येक मालिक लिफ्ट या एस्केलेटर के निर्बाध एवं निरापद संचालन के लिए यथा विहित फारम में एवं रीति से सभी वार्षिक सुरक्षा प्रमाण पत्र देगा;

5. आपातकालीन बचाव यंत्र और स्वचालित बचाव यंत्रः–

(1) स्वामी बिजली की आपूर्त्ति ठप होने की दशा में यात्रा कर रहे यात्रियों के बचाव के लिए लिफ्ट को किसी निकटवर्त्ती मंजिल पर लाने, लिफ्ट रोकने तथा उतरते समय ध्यान रखने तथा लिफ्ट केज डोर को खोलने के लिए स्वचालित बचाव यंत्र एवं ग्रुप हाऊसिंग, घरेलू या किसी अन्य भवन को छोड़कर पंद्रह मीटर से अधिक की ऊँचाई वाले गगनचुंबी भवन के लिए आपातकालीन बचाव यंत्र को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करेगा;

(2) स्वामी को बिजली आपूर्त्ति ठप होने की दशा में यात्रा कर रहे यात्रियों के बचाव के लिए लिफ्ट के नजदीकी किसी मंजिल पर लाने, लिफ्ट को रोकने, लिफ्ट से उतरते समय ध्यान रखने तथा लिफ्ट केज डोर खोलने, जैसी भी स्थिति हो, पन्द्रह मीटर से कम ऊँचाई वाले ग्रुप हाउसिंग भवन, घरेलू या किसी अन्य भवन के लिए स्वचालित बचाव यंत्र आवश्यक तथा आपात बचाव यंत्र की व्यवस्था करने का विकल्प होगा;

6. वैकल्पिक बिजली आपूर्त्ति प्रणाली ।–बिजली चली जाने की दषा में लिफ्ट का कार्य करना सुनिश्चित करने के लिए मालिक 30 सेकेंड के भीतर वैकल्पिक स्वचालित बिजली आपूर्त्ति प्रणाली की व्यवस्था करेगा।

7. निरीक्षण ।–निरीक्षक या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी या अभिकरण द्वारा निबंधित प्रत्येक लिफ्ट या एस्केलेटर का निरीक्षण तीन वर्षो में एक बार किया जायेगा। ऐसे निरीक्षण के लिए किसी अन्य विद्युत अधिष्ठापन जाँच शुल्क के अतिरिक्त विहित शुल्क लिया जायेगा। जबकि प्राधिकृत एजेन्सी/मरम्मतकर्त्ता द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार इसकी जाँच/सम्पोषण कराया जाना आवश्यक होगा।

8. व्यवहार संहिताः–

(1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के जिए भारतीय मानक ब्यूरो की सुसंगत व्यहार संहिता, यदि कोई हो का पालन किया जायेगा, (जिसमें राष्ट्रीय भवन संहिता और राष्ट्रीय विद्युत संहिता भी शामिल है) तथा कोई असंगति पायी जाने की दषा में इस अधिनियम या एतदधीन बनाये गये नियमों के उपबंध अभिभावी होगा;

(2) प्रयुक्त सामग्री एवं उपकरण संबंधित भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश से संपुष्ट होंगे, जहाँ एसे विनिर्देश पहले ही अधिकथित है;

(3) परिसरों में अधिष्ठापित किये जाने वाले लिफ्टों या एस्केलेटरों की संख्या और उनके बीच की परस्पर दूरी भारतीय मानक ब्यूरो एवं राष्ट्रीय भवन संहिता की सुसंगत व्यवहार संहिता से शासित होंगे;

9. विद्यमान लिफ्टों या एस्केलेटरों का निबंधनः–

(1) धारा–4 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसा प्रत्येक मालिक जिसने इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व परिसरों में लिफ्ट या एस्केलेटर का अधिष्ठापन किया है वह इसके प्रभावी होने के छः माह की अवधि के भीतर ऐसे लिफ्ट या एस्केलेटर के निबंधन के लिए आवेदन करेगा;

(2) ऐसे आवेदन पर धारा–4 की उपधारा–(2), (3) एवं (4) के उपबंध लागू होंगे;

10. निरीक्षण के लिए किसी भवन में प्रवेश करने का अधिकार।–कोई निरीक्षक सभी उपयुक्त समय में सरकारी सेवा में रहने वाले किसी सहायक, यदि कोई हो, के साथ जैसा वह उचित समझे, किसी ऐसे परिसर में जिसमें लिफ्ट या एस्केलेटर अधिष्ठापित किये गये हैं अथवा जिनके निबंधन के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं लिफ्ट या एस्केलेटर या उनके अधिष्ठापन या उनके कार्यस्थल के निरीक्षण के लिए प्रवेश कर सकते है।

11. असुरक्षित अवस्था वाले लिफ्ट या एस्केलेटर।–धारा–7 के अधीन निरीक्षण करने के उपरांत यदि निरीक्षक यह पाता है कि किसी भवन का कोई लिफ्ट या एस्केलेटर असुरक्षित अवस्था में है, तो वह ऐसे मालिक को विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसे लिफ्टों या एस्केलेटरों की यथा आवश्यक मरम्मत या परिवर्तन कराने का निदेश दे सकता है अथवा वह उसका उपयोग तब तक रोक सकता है, जब तक कि उसका समाधान न हो जाय कि ऐसी मरम्मत या परिवर्तन करा लिये गये हैं या असुरक्षित अवस्था दूर कर ली गई है।

12. सील करना :–

(1) कोई लिफ्ट या एस्केलेटर जिसके संबंध में धारा–11 के अधीन कोई निर्देश निर्गत किया गया है, उसका निरीक्षक के समाधान होने तक पालन नहीं किया गया है, ऐसे लिफ्ट या एस्केलेटर को यदि उसी अवस्था में चलता हुआ पाया जाता है, तो निरीक्षक द्वारा उसे सील करने का आदेश दिया जा सकता है;

(2) उपधारा–(1) के अधीन किये गये आदेश के विरूद्ध कोई अपील मुख्य विद्युत निरीक्षक, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार के पास की जायेगी और उनका निर्णय अंतिम होगा;

13. बीमा।–ऐसे लिफ्ट या एस्केलेटर का अधिष्ठापन पूरा होने के पश्चात मालिक को तृतीय पक्ष बीमा सुनिष्चित करना बाध्यकारी होगा ताकि उसका उपयोग करने वाले सवारियों का जोखिम आच्छादित हो सकें।

14. कर्मपुस्ती और प्रतिवेदनः–

(1) मालिक प्रत्येक लिफ्ट या एस्केलेटर के लिए कर्मपुस्ती संधारित करेगा तथा उसमें परिचालन ठप हो जाना (विद्युत आपूर्त्ति चली जाने से भिन्न) और दुर्घटना, यदि कोई हो, तो दर्ज करेगा। इस कर्मपुस्ती का निरीक्षण निरीक्षक द्वारा जब और जैसे चाहें किया जा सकता है;

(2) जब कभी किसी ऐसे लिफ्ट या एस्केलेटर के परिचालन पद्धति में कोई दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति को क्षति होती है, तो मालिक 24 घंटे के भीतर दुर्घटना का पूरा ब्यौरा ऐसे लिफ्ट या एस्केलेटर के लिए कार्य करने वाले निरीक्षक को यथा विहित फारम में देगा और निरीक्षक की लिखित अनुमति के बिना इसे पुनः चालू नहीं करेगा;

15. समवर्ती दाायित्व।–ऐसे लिफ्ट या एस्केलेटर के किसी सुरक्षा उपबंध के ठीक से कार्य नहीं करने के चलते दुर्घटना होने की दषा में यथास्थिति, लिफ्ट या एस्केलेटर अधिष्ठापन या रख–रखाव कम्पनी पर भी अभियोजन चलाया जा सकता है तथा उसे इस अधिनियम के अधीन दण्ड का भागी ठहराया जा सकता है।

16. बंद होने की सूचना देना।–यदि किसी भवन में जहाँ लिफ्ट या एस्केलेटर अधिष्ठापित किये गये हैं, वह कार्य नहीं करता है तो मालिक द्वारा इसकी सूचना एक माह की अवधि के भीतर निरीक्षक को दी जायेगी।

17. जीवन विस्तार।– परिसरों में अधिष्ठापित लिफ्ट या एस्केलेटर को उसके अधिष्ठापन के बीस वर्षों की अवधि के पश्चात मालिक द्वारा बदल दिया जायेगा। ऐसा बदलाव लिफ्ट या एस्केलेटर के अधिष्ठापन के 21वें वर्ष में पूरा कर लिया जायेगा तथा मालिक धारा–4 के अधीन नया निबंधन के लिए आवेदन करेगा;

18. शिथिल करने की शक्ति।–सरकार लिखित आदेश द्वारा इस अधिनियम या एतदधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबंध को ऐसी शर्त के अध्यधीन, जो वह उचित समझे शिथिल कर सकती है;

19. शक्तियों का प्रत्यायोजन।–सरकार इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत शक्तियों को किसी ऐसे पदाधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकती है, जिसे वह उचित समझे।

20 शास्ति।–जो कोई इस अधिनियम या एतदधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, तो वह दोष सिद्धि होने पर तीन माह तक का कारावास या पचास हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा तथा लगातार उल्लंघन करने पर प्रथम बार ऐसे उल्लंघन के दोष सिद्ध के पश्चात जारी उल्लंघन के दौरान प्रतिदिन एक हजार रूपये तक का अतिरिक्त जुर्माना लगेगा।

21. अपराध का संज्ञान।–इस अधिनियम के अधीन नियुक्त निरीक्षक द्वारा किये गये परिवाद के अलावे कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

22. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।–इस अधिनियम या एतद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के अनुपालन में सद्भावपूर्वक की गई या किये जाने से आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं चलाई जायेंगी।

23. नियम बनाने की शक्ति :–

(1) सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है;

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी बात का उपबंध किया जा सकता है :–

(क) लिफ्टों या एस्केलेटरों के लिए विनिर्देश;
(ख) रीति, जिसमें लिफ्ट या एस्केलेटर की परिनिर्माण योजना प्रस्तुत की जाती है;
(ग) रीति, लिफ्टों या एस्केलेटरों की जाँच की जाती है;
(घ) लिफ्ट या एस्केलेटर के परिनिर्माण हेतु अनुमति का आवेदन प्रपत्र तथा ऐसे लिफ्ट या एस्केलेटर का (कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति;
(ङ) धारा–4 की उपधारा–(1) के अधीन भेजे जाने वाले समापन प्रतिवेदन का फारम;
(च) शर्त्ते एवं बंधेज और निर्बंधन और फारम जिनके अध्यधीन लिफ्टों या एस्केलेटरों की अनुज्ञप्ति मंजूर की जाती है तथा ऐसी अनुज्ञप्ति के लिए भुगतान किये जाने वाले शुल्क;
(छ) रीति और बंधेज जिनके अध्यधीन लिफ्ट या एस्केलेटर कार्य करेंगे;
(ज) रीति, जिसमें धारा–14(2) के अधीन दुर्घटना की सूचना दी जायेगी;
(झ) अपील करने का फारम एवं रीति; और
(ञ) कोई अन्य मामला जो इस अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है, या निर्धारित किया जा सकता है;

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के तुरंत बाद राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जायेगा, जब वह सत्र में हो, यदि सदन सहमत हो जाता है कि नियम में उपांतरण किया जाय अथवा नियम बनाया ही नहीं जाय, तो नियम यथास्थिति, उपांतरित रूप से प्रभावी होगा या अप्रभावी होगा तथापि ऐसा उपांतरण या बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

24. व्यावृति।–इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई बात विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) या एतद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों पर प्रभावी नहीं होगी।

उद्देश्य एवं हेतु

बिहार राज्य में जनसंख्या का घनत्व अत्यधिक होने तथा भूमि की उपलब्धता सीमित होने के फलस्वरूप, हाल के वर्षों में बहुमंजिली इमारतों/ अपार्टमेंट्स/व्यावसायिक भवनों/अस्पतालों/विभिन्न कार्यालयों/सरकारी भवनों आदि का निर्माण तीव्र गति से हुआ है, जिससे वर्तमान समय में लिफ्ट एवं एस्केलेटर के उपयोग में कई गुणा वृद्धि हुई है।

लिफ्ट एवं एस्केलेटरों के संचालन के क्रम में देश के विभिन्न स्थानों में घटित/संभावित दुर्घटनाओं को देखते हुए इस पर प्रभावी नियंत्रण हेतु उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के निरूपित किये जाने हेतु राज्यों से अपेक्षा की गई है। देश के कई राज्यों में लिफ्ट एवं एस्केलेटर के सभी वर्गों एवं उससे संबंधित सभी मशीनरी तथा उपकरणों के निर्माण, अधिष्ठापन रख–रखाव के निरापद कार्य प्रणाली को विनियमित करने हेतु लिफ्ट एवं एस्केलेटर अधिनियम एवं इससे संबंधित नियमावली निरूपित किये गये है।

लिफ्ट एवं एस्केलेटर के लगातार बढ़ते उपयोग एवं इस पर निर्भरता को देखते हुए सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से इसके निरापद संचालन के लिए इसे विनियमित किये जाने की आवश्यकता है।

इसकी आवश्यकता देखते हुए राज्य में लिफ्ट एवं एस्केलेटर के सभी वर्गों एवं उससे संबंधित सभी मशीनरी तथा उपकरणों के निर्माण, अधिष्ठापन, रख–रखाव के निरापद कार्य प्रणाली को विनियमित करने हेतु बिहार लिफ्ट एवं एस्केलेटर विधेयक, 2024 का मुख्य उद्देश्य है और इसे अधिनियमित कराना ही विधेयक का अभीष्ट है।

(सम्राट चौधरी

(**बिजेन्द्र प्रसाद यादव**)
भार–साधक सदस्य।

ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव
बिहार विधान सभा, पटना ।

पटना
दिनांक–24.07.2024

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 693-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in